Digvijaya Singh
Former Chief Minister

B-1, Shyamla Hills, Bhopal
Tel. 0755-2661550, 2441788

64, Lodhi Extate, New Delhi
Tel. 011-24628655

Email: dvsofficebhopal@gmail.com

S.No. Q-116/2020
Date : 27.04.2020

Dear Shri Narendra Modi ji,

Because of National Lockdown number of people are stranded away from their place of residence.

Millions of migrant labour are stuck throughout the Country and facing huge problems. They are getting frustrated and causing law and order problem, though the State Governments are doing their best to arrange food and accommodation.

Similarly, thousands of students are also stuck in different parts of the country and abroad. Also, some families and tourists are also stranded in different places away from home.

Therefore, an Exit Plan has to be prepared for such people.

I have prepared an Exit Plan which I am enclosing for your kind consideration. Looking to the ground realities you may kindly consider these suggestions and take decisions as soon as possible.

In the meantime, Government of Madhya Pradesh has issued orders to bring back the migrant labour, which I am enclosing.

I am also sending copy of my earlier suggestions to you and Hon. Home Minister Shri Amit Shah also.

With regards,

Your's sincerely,

(DIGVIJAYA SINGH)

SHRI NARENDRA MODI
Hon. Prime Minister
Government of India
7, Lok Kalyan Marg,
New Delhi

Cc:
(1) Shri Amit Shah, Hon. Home Minister, Govt. of India, New Delhi
(2) Shri Shivraj Singh Chouhan, Hon, Chief Minister, Govt. of Madhya Pradesh, Bhopal
(3) Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh, Mantralaya, Bhopal

/
(DIGVIJAYA SINGH)

INTERIM EXIT PLAN DURING COVID LOCKDOWN

DEMARCATION OF BOUNDARIES OF AFFECTED AREAS

1. GOI has bifurcated areas in the country on the basis of District boundaries. However, as the local police authority is the implementing agency at the ground level for all Coronavirus related activities, areas should be divided on the basis of Police Station boundaries. That would also help in containing the Hot Spot areas.

2. Hot Spot Police Stations in Red Zones should be completely Locked Down. Entry should be restricted and delivery of essential items for families in Hot Spot areas should be ensured. Police Stations in the neighbourhood within a radius of 5-10 kms in Urban areas and 25-50 kms in Rural areas, should be in Orange Zone. Rest of the Districts should not be kept in the Red Zones and they may be declared Green Zone areas. Operation of Trade, Industries (MSMEs in particular) and other employment generating activities be allowed with daily thermal screening and mandatory use of masks. Workers to be properly educated about social distancing guidelines and hygiene while working.

MIGRANT LABOUR

1. Due to the sudden and abrupt announcement of the lockdown, millions of migrant labourers got stuck at the places where they had gone in the search for their livelihood away from their homes.
2. There are three basic kinds of migrant labourers:

a. Those who are taken by labour contractors for specific projects;
b. Those who go to agrarian states for harvesting of crops;
c. Those who migrate to cities without any assured work or income.

3. After the lockdown, all the categories have been rendered jobless and without any income irrespective of the fact whether they are in Green Zones or Orange Zone Districts. A revival and survival policy would have to be framed keeping the above in mind.

(It must be noted that every legitimate economic activity which results in generation of income, howsoever small it may be, is a direct contributor to the GDP of the country.)

- <u>Identification of Migrant Labour</u>

a. A software should be prepared immediately to identify and register the migrant labour with his name, phone number, Aadhar number, address where he is staying and address of his destination. This software has to be provided to all the police stations and separate dedicated staff with computers be earmarked at the police stations for registering of migrants.

b. Each migrant labour has to register himself online or at the Police Station of his Origin giving details mentioned above. The registration process should be made as simple as possible.

- **Place of Origin**

a. State Governments should be authorised to allow migrant labour to move from the place of their origin to the place of destination within their State, if they move from a Green Police Station to a Green Police Station. A majority of them would be agriculture labour who had gone for harvesting of Rabi Crop. Police stations of the place of origin shall inform the DM of the place of destination. As a precautionary measure, the DMs of place of origins shall thermal screen all the migrants and DMs at destination shall also ensure thermal screening and segregation of visibly sick persons.
b. In Inter State movement, migrant labour stuck in Green Districts/Green Police Stations whose destination is in Green Districts/Green Police Stations should be sent after thermal screening. Those who are having any sickness symptoms like fever, cough, or cold should be compulsorily tested through Rt PCR. They should be quarantined till they are tested. If found negative they can be sent back separately.
c. A sub-divisional officer of revenue or police should ensure thermal screening.
d. Similar procedure may be applied for migrant labour from Orange Zone District/Police Stations to Green and Orange District/Police Stations.
e. No migrant labour from Red Zone District/Police Station be allowed to go unless they are quarantined for 14 days and go through thermal screening.
f. No migrant labour be allowed to go from Red Zone District to Red Zone District/Police Station area initially. It can be reviewed by the State Government every week.

- **Place of Destination**

a. The State Government of origin shall inform the State Government of destination with details of each of the migrant labour.
b. The State Government of origin shall inform the State Government of the destination of the date and mode of travel of each of the migrant labour group.
c. The State Government of destination shall monitor the movement of each train/bus once they enter the State of destination.
d. At the place of disembarkation, the State shall arrange thermal screening for all migrant labour. If anyone from the group is suffering from any of the COVID symptoms the whole group should be quarantined at the place of disembarkation for 14 days.
e. Prior arrangement should be made in the districts of destination for food, shelter and giving minimum wages to the labour returning and immediately on arrival they should be given some sustenance amount and also food and shelter.

- **Travel Arrangements and Restrictions**

a. Physical Distancing norms shall be followed in the trains/buses strictly.
b. For Buses - A team of state police from the place of origin shall accompany the migrants in the bus in a separate vehicle till its state borders.. Thereafter, the police of the destination state shall accompany the bus carrying the migrant labour. The accompanying police teams can change with the change of district jurisdiction within

the state. Food and water to be provided by state government of origin till the disembarkation.
c. For Trains - A team of RPF shall accompany the special train carrying the migrant labour from the point of origin to the point of disembarkation. Arrangement of adequate food and water during the journey would have to be provided by the state government of origin till the place of disembarkation. Thereafter, respective state governments of their destination districts shall take over and be responsible for their food and water requirements
d. A team of medics or paramedics with thermal screeners may accompany the special trains, if possible.
e. Migrant labour after reaching their place of destination should be provided work under MGNREGA.
f. 10 kg Wheat/Rice per person should be given free of cost till 30/06/2020 at their residence by the Home State.
g. If no work under MNAREGA is available near their place of residence, one person from the family should be paid minimum wages from 1st May to 30th June.

STUDENTS

1. All students stuck away from home should be asked to register online with the District Administration. A separate software may be prepared for them.
2. All of them should be subjected to thermal screening and those without any symptoms should be sent back to their choice of destination by buses or special trains.
3. Similar arrangements as suggested for migrant labour, shall be made for students travel.

FAMILIES AND TOURISTS

1. Online applications may be invited from the applicants by the DMs of place of origin. All those who are not staying in Hot Spots of Red Zone areas may be allowed to go to their destinations after thermal screening. DMs of places of their origin may issue online permits to enter the transit and destination states.
2. Those in Green and Orange areas may also be allowed to leave after thermal screening.
3. They would arrange for their own transport.
4. Their travel plan would be conveyed to the DM of their chosen destination and all should be medically screened for fever or any other symptoms at the places of origin.

TRADE AND INDUSTRY PARTICULARLY MSMEs

1. In all Green Districts/Orange Districts, all shops may be allowed to be opened, except those located in Malls and multi brand shopping complexes or multi brand / multi goods department stores.
2. State Governments should be authorised to frame appropriate protocol to start industrial activity particularly of MSMEs.

3. Handlooms and powerlooms operating in individual households may be allowed to run and the State Governments may ensure supply of yarn and make arrangements for the sale of their produce.
4. MSMEs may be given 50% subsidy on their electricity bills.
5. All industries should be asked to pay for the electricity actually consumed and not the contract amounts because their production is at all time low. Consequently, the industries are using electricity only for basic maintenance and watch & ward. Hence, the industries should not be charged for the power consumption according to their contract demand. They should be charged according to actual consumption during the period from March to September. Thereafter they could be charged as per their contract demand.
6. MSMEs may be allowed to run their own transport facilities for transporting those workers who do not have any conveyance of their own.
7. Goods vehicles transporting raw materials and finished products of industries / MSMEs may be allowed to be run subject to issuing of special passes issued by the local police stations which will be done after proper verification.

FARMERS AND AGRICULTURAL ACTIVITIES

1. All Agri products, food grains, milk, poultry and all perishable crops should be included in essential commodities category.
2. Their production, purchase and distribution should be ensured keeping in mind while designing the protocols for prevention of COVID spread in the Country.
3. Preparation for sowing of Kharif crops should start. Advance stocking of seed fertiliser and pesticides should be promoted.

CENTRAL AND STATE EMPLOYEES

1. All Government employees are working under very difficult conditions and therefore it is unfair to deny them their rightful due.
2. Health Employees and Law and Order Enforcement Employees must be given additional 1/3rd of their basic pay as a bonus till 30th June.

INDUSTRIAL WORKMEN IN ORGANISED SECTOR

1. No workman shall be retrenched during National Lockdown.
2. No cuts in wages during Lockdown

CORPORATE SECTOR

1. All commercial electricity bills be cut to half for the next 3 months.
2. Companies be allowed to retain 50 % of GST payable for next 12 months.
3. WAIVER of interest payments for next 6 months.
4. All EMI's to banks and NBFC to be put on hold for 6 months with no levy of interest on delayed payment.
5. Employee share of the PF not to be paid by the companies but to be borne by Government for a period of 6 months.
6. Employee share of the ESIC not to be paid by the Companies but to be borne by Government for a period of 6 months.
7. Property Tax for FY2020-21 to be reduced to half for all commercial properties.

DIGVIJAYA SINGH

मध्यप्रदेश शासन
स्टेट कंट्रोल रूम
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

भोपाल, दिनांक 26.04.2020

क्रमांक..

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
समस्त पुलिस अधीक्षक,
मध्यप्रदेश

विषय:-प्रदेश के फंसे मजदूरों को अन्य प्रदेश से लाने की व्यवस्था।

प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में लोकडाउन के कारण रूके हुए मजदूरों को अपने गन्तव्य तक पहुँचाने के लिए निम्नानुसार व्यवस्था की जावे:-

1. राज्य नियंत्रण कक्ष (स्टेट कंट्रोल रूम) में संधारित जानकारी जिसके अनुसार प्रदेश के किस जिले के मजदूर अन्य प्रदेशों में किस जिले में रूके हुए है उसकी जानकारी से राज्य समन्वयक अधिकारी को अवगत कराया जावेगा।
2. राज्य समन्वयक अधिकारी अन्य राज्यों से संबंधित राज्य द्वारा संधारित प्रदेश के मजदूरों की यथासंभव जिलेवार जानकारी प्राप्त करेंगे एवं अपनी डाटा भी उनसे साझा करेगें।
3. प्रदेश के विभिन्न जिलों के निवासी मजदूर जो अन्य प्रदेशों में फसे हूए है उनकी जानकारी मैपआईटी व जिला कलेक्टारों ने मुख्यमंत्री मजदूर सहायता योजना के अंतर्गत संधारित की है उसको अपर प्रमुख सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी अथवा प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे को उपलब्ध करायी जावे।
4. मैपआईटी के द्वारा ई-पास व्यवस्था के लिए संचालित पोर्टल में भी प्रदेश की बाहर ऐसे मजदूर जो प्रदेश में वापस आने के लिए इच्छुक है उनके पंजीयन की व्यवस्था का प्रावधान किया जावे।
5. इसके अतिरिक्त ऐसे निवासी राज्य नियंत्रण कक्ष के फोन नं. 0755-241180 पर भी सूचना दे सकेंगे जिसकी जानकारी का संकलन राज्य नियंत्रण कक्ष द्वारा किया जावे।
6. उपरोक्त समस्त माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्य योजना बनायी जावे तथा संबंधित समन्वयक अधिकारी अपने अन्य प्रदेशों के काउंटर पार्ट से समन्वय स्थापित करेंगे तथा उपरोक्त जानकारी से अपर मुख्य सचिव श्री आई.सी.पी. केशरी अवगत करायेगें।

Scanned by CamScanner

परिवहन व्यवस्था :-

a. गुजरात, राजस्थान एवं अत्तर प्रदेश द्वारा वहाँ की बसों से मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे समस्त नागरिक जो अन्य प्रदेशों से मध्यप्रदेश की सीमा में प्रवेश करेंगे उनकी मध्यप्रदेश की सीमा पर संबंधित जिले के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, विश्राम व भोजन की व्यवस्था की जावे।

b. स्वास्थ्य परीक्षण में अस्वस्थ्य पाये गये श्रमिकों को क्वारंटाईन की व्यवस्था वहीं पर सुनिश्चित की जावे।

c. स्वस्थ्य पाये गये श्रमिकों को इन्ट्री प्वाइंट से उनके गंतव्य जिले तक पहुँचाने की व्यवस्था बसों के माध्यम से सीमावर्ती जिले द्वारा की जावे। इस हेतु आवश्यक परिवहन विभाग तथा आर.टी.ओ. द्वारा पर्याप्त बसें आवश्यकातानुसार उपलब्ध करायी जावेंगी। इन्ट्री प्वाइंट पर बसों को जिलेवार भेजा जावे।

d. गन्तव्य जिले पर पहुँचने पर ऐसे नागरिकों का पुन: स्वास्थ्य परिक्षण किया जावेगा और स्वास्थ्य परीक्षण में अस्वस्थ्य पाये गये नागरिकों के अलावा शेष को अपने निवास स्थल को भेजा जावेगा शेष व्यक्तियों को अस्वस्थ्य पाये जाने पर जिले के अंदर क्वारंटाईन किया जावे।

5. उपरोक्त क्रियान्वयन में परिवहन, भोजन या अन्य सुविधाओं के लिए कलेक्टर SDRF से भुगतान की व्यवस्था करेगें।

6. यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से तत्पराता एवं सावधानीपूर्वक संपादित किया जाए एवं की गई कार्यवाही से अवगत भी कराया जाए।

7. अन्य शहरों में आने वालो मजदूरों की संख्या को उस राज्य के नोडल अधिकारी से समन्वय कर रेगुलेट की जावे ताकि बोर्डर पर व्यवस्था बनी रहे।

Keshari

(आई.सी.पी. केशरी)
अपर मुख्य सचिव
प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव कर्यालय
2. श्री एस.एन.मिश्रा, प्रमुख सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग भोपाल
3. श्री मलय श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग भोपाल
4. श्री मनु श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव, नव एवं नवकरणीय ऊर्जा, एमएसएमई विभाग
5. श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास

Scanned by CamScanner

5. श्री संजय दुबे, प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं आवास

6. श्री नीरज मुडलोई, प्रमुख सचिव, खनिज साधन, उच्च शिक्षा

7. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग

8. श्रीमती दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग

9. श्री किरण गोपाल, प्रबन्ध संचालक, पूर्व क्षेत्र विद्युत कं. जबलपुर

10. श्रीमती इरीन सिंथिया

11. श्री टी.इल्लैयाराजा

12. श्री श्रीनीवास वर्मा, आई.जी., कानून-व्यवस्था

13. श्री मधु कुमार, आयुक्त परिवहन म.प्र.

14. संभागीय आयुक्त, सूचनार्थ

अपर मुख्य सचिव
प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम

Scanned by CamScanner

दिग्विजय सिंह
पूर्व मुख्यमंत्री

बी–1, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
फोन : 0755-2661500, 2441788
64, लोधी ईस्टेट, नई दिल्ली
फोन : 011-23019373 (का.), 24628655
ई-मेल : info@digvijayasingh.in
dvsofficebhopal@gmail.com

क्रमांक क्यू–109
दिनांक 17.04.2020

प्रिय श्री नरेन्द्र मोदी जी,

कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिये किये गये 21 दिन के लॉकडाउन को केन्द्र सरकार द्वारा 3 मई तक बढ़ाया गया है। मुझे विश्वास है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रयास तथा आम जनता के सहयोग से देश जल्दी ही इस भयंकर महामारी पर विजय प्राप्त कर लेगा।

मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान देश के विभिन्न राज्यों में फॅसे प्रवासी मजदूरों की असहनीय समस्या और पीड़ा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देशभर के अनेक स्थानों से खबरें आ रही हैं कि वहां फॅसे हुए प्रवासी मजदूर और अन्य लोग काफी परेशान हैं। मुंबई और सूरत से आने वाली खबरों से समस्या की भयावहता का अनुमान लगाया जा सकता है। ये लोग रहने और खाने–पीने की समुचित व्यवस्था नहीं होने या गंभीर पारिवारिक परेशानियों के कारण स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने घर जाना चाहते हैं।

मीडिया खबरों के माध्यम से पता चला है कि राज्यसभा सांसद श्री जी.बी.एल. नरसिंहाराव की पहल पर काशी (उत्तरप्रदेश) में फॅसे तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के 1000 तीर्थ यात्रियों को 13 अप्रैल 2020 को केन्द्र सरकार की अनुमति पर उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा उनके राज्यों में भेजा गया है। (इस संबन्ध में प्रकाशित समाचार पत्र की कटिंग संलग्न है। मेरा आपसे अनुरोध है कि प्रवासी मजदूर और गरीबों को भी स्क्रीनिंग करके सेनेटाइज्ड बसों द्वारा और अन्य साधनों से पुलिस सुरक्षा के बीच उनके निवास स्थान तक भेजा जाए। साथ ही उनके लिये एक प्रोटोकॉल तय किया जा सकता है ताकि जो लोग स्वस्थ हों और जिनमें कोरोना के कोई लक्षण विद्यमान न हो, वो अपने स्थान पर पहुँच सकें। ऐसे मजदूरों को ले जाने के लिये विशेष ट्रेन भी चलाई जा सकती है।

अपने स्थान पर पहुंचकर मजदूरों को जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा इनके घरों में या इनके गॉव के सार्वजनिक भवनों यथा–स्कूल, पंचायत भवन या अन्य उपलब्ध स्थानों पर 14 दिन के लिये क्वारंटीन किया जा सकता है ताकि संक्रमण भी न फैले और इन मजदूरों को बीमारी, भूख या हताशा से मरने से भी बचाया जा सके। इन्हें लाने पर होने वाले व्यय को या तो केन्द्र सरकार वहन करे या वे राज्य सरकारें वहन करें जहां के ये मजदूर मूल निवासी हैं। इसके लिये केन्द्र और राज्य आधा–आधा खर्च भी वहन कर सकते हैं।

शुभकामनाओं सहित।

सादर।

आपका

(दिग्विजय सिंह)

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार,
7, लोक कल्याण मार्ग,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि :– श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यकवाही हेतु प्रेषित।

/
(दिग्विजय सिंह)

5

दैनिक जागरण
वाराणसी, 14 अप्रैल 2020
www.jagran.com

तीर्थ यात्रियों को लेकर रवाना हुईं 25 बसें

जासं, वाराणसी : लॉकडाउन के चलते वाराणसी में दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और उड़ीसा से आए एक हजार से अधिक तीर्थ यात्री यहां फंस गए थे। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हाराव की पहल व केंद्र सरकार के आदेश पर काशी से सोमवार को तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के एक हजार से अधिक यात्री 25 बसों और चार क्रूजर से सुरक्षाकर्मियों संग अपने राज्य भेजे गए।

हालात ऐसे थे कि एक बस में 45 सीटों पर 45 यात्री थे। 12 बसें भोर चार बजे रवाना की गईं जबकि आठ बसें देर शाम को। इसके अलावा दो करूजर से 12 की संख्या में तीर्थ यात्री रवाना किये गए।

तीर्थ यात्रा पर निकले अधिकतर यात्री सोनारपुरा, सिगरा के आसपास आश्रम, मठ और होटलों में ठहरे थे। जिला प्रशासन समय-समय पर इनकी थर्मल स्कैनिंग के साथ ही

भोजन का प्रबंध कर रहा था लेकिन यात्री अपने घरों को जाने के लिए परेशान थे। अपने-अपने इलाके के जनप्रतिनिधियों को फोन करके उन्हें सुरक्षित घर तक पहुंचाने के इंतजाम को दबाव बनाया। सरकार का फरमान जब जिला प्रशासन के पास पहुंचा तो बसों की व्यवस्था कराई गई। सभी वाहनों को सैनिटाइज करने के बाद भोजन के पैकेट के साथ सोमवार को गृहक्षेत्र को रवाना किया गया।

अब कोई सुविधा नहीं - जिला प्रशासन के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सोमवार को जितने तीर्थ यात्री रवाना किए गए हैं, उतनी संख्या रहेगी। सरकार के अगले आदेश तक अब किसी के लिए भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

दिग्विजय सिंह
पूर्व मुख्यमंत्री

बी-1, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
फोन : 0755-2661500, 2441788

64, लोधी ईस्टेट, नई दिल्ली
फोन : 011-23019373 (का.), 24628655

ई-मेल : info@digvijayasingh.in
dvsofficebhopal@gmail.com

क्यू–112
दिनांक 20.04.2020

प्रिय श्री अमित शाह जी,

कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के परिणामस्वरूप देश के अनेक हिस्सों में कई छात्र फॅसे हुये है। राजस्थान के कोटा में फॅसे उत्तरप्रदेश के 3000 छात्रों को उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा 100 बसें भेजकर दिनांक 18.04.2020 को वापस बुला लिया गया है तथा शेष 7000 छात्रों को भी उत्तरप्रदेश सरकार कोटा से वापस लाने का प्रबंध कर रही है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी राज्य के लगभग 2500 छात्रों को 100 बसों द्वारा कोटा से मध्यप्रदेश लाने की व्यवस्था की जा रही है। हाल ही में उत्तरप्रदेश के वाराणसी से 1000 तीर्थ यात्रियों को भी दक्षिण भारत के राज्यों में उनके घर भिजवाने की व्यवस्थाएं उत्तरप्रदेश सरकार द्वारा की गई है।

मैं इस पत्र के साथ जम्मू एण्ड कश्मीर के लगभग 135 छात्र–छात्राओं की सूची प्रेषित कर रहा हूॅ। ये सभी भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय और आर.के.डी.एफ. विश्वविद्यालय में अध्ययन/शोध कर रहे छात्र–छात्राएं है जो लॉकडाउन के कारण भोपाल में फॅसे हुये है। इनमें से अधिकांश छात्र–छात्राएं मुस्लिम है। आगामी दिनांक 23 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है। ये सभी विद्यार्थी जम्मू एण्ड कश्मीर स्थित अपने घर जाना चाहते है। लॉकडाउन के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है और इन्हे यहॉ काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू एण्ड कश्मीर में निवासरत इनके माता–पिता अपने बच्चों को लेकर काफी परेशान एवं चिन्तित है।

मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार काशी से दक्षिण भारत के 1000 तीर्थयात्रियों को तथा राजस्थान के कोटा से उत्तप्रदेश और मध्यप्रदेश के हजारों छात्रों को उनके राज्यों तक भेजने की अनुमति और प्रबंध किये गये है उसी प्रकार भोपाल में फॅसे जम्मू एण्ड कश्मीर के इन छात्रों को भी उनके राज्य में वापस भेजने की अनुमति देने और दोनों राज्यों से समन्वय स्थापित करके इन्हे वापस जम्मू एण्ड कश्मीर में भिजवाने की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

इन छात्र–छात्राओं को जम्मू एण्ड कश्मीर में ले जाकर निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक क्वारंटीन किया जा सकता है ताकि वे अपने घर भी पहुॅच जाये और महामारी को फैलने से भी बचाया जा सके।

शुभकामनाओं सहित।

आपका

(दिग्विजय सिंह)

श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री,
भारत सरकार
नई दिल्ली

दिग्विजय सिंह
पूर्व मुख्यमंत्री

बी-1, श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.)
फोन : 0755-2661500, 2441788
64, लोधी ईस्टेट, नई दिल्ली
फोन : 011-23019373 (का.), 24628655
ई-मेल : info@digvijayasingh.in
dvsofficebhopal@gmail.com

क्यू–113
दिनांक 23.04.2020

प्रिय श्री अमित शाह जी,

भोपाल में फॅसे जम्मू एण्ड कश्मीर के छात्र–छात्राओं को वापस उनके राज्य भिजवाने हेतु मेरे द्वारा आपको प्रेषित मेरे पत्र दिनांक 19.04.2020 आपको मिल गया होगा। मैने इस पत्र के साथ आपको 135 छात्रों की सूची प्रेषित की थी। इनके अलावा भी जम्मू कश्मीर के भोपाल में 32, इन्दौर में 43 और ग्वालियर में 17 छात्रों के फॅसे होने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है तथा इन छात्रों ने वापस उन्हे उनके घर भेजने का निवेदन किया है। भोपाल, इन्दौर और ग्वालियर में फॅसे कुल 92 छात्रों की सूची मैं इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूॅ। इसके अलावा भी मध्यप्रदेश के अन्य शहरों में कश्मीरी छात्र है जो अपने घर जाना चाहते है।

चूॅकि जम्मू एण्ड कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश है और लॉकडाउन के कारण वहॉ के अन्य राज्यों में फॅसे लोगों की परेशानियों को दूर करना और उन्हे विश्वास में लेना केन्द्र सरकार का दायित्व है। इन छात्रों में अनेक छात्र मुस्लिम है और उन्हे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे रमजान के पवित्र माह में अपने माता–पिता और परिवार के साथ रहना चाहते है।

मेरा आपसे पुनः अनुरोध है कि जिस प्रकार काशी से दक्षिण भारत के 1000 तीर्थयात्रियों को तथा राजस्थान के कोटा से उत्तप्रदेश और मध्यप्रदेश के हजारों छात्रों को उनके राज्यों तक भेजने की अनुमति और प्रबंध किये गये है उसी प्रकार मध्यप्रदेश के विभिन्न शहरों में फॅसे जम्मू एण्ड कश्मीर के छात्र–छात्राओं को भी उनके राज्य में वापस भेजने की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का कष्ट करें।

इन छात्र–छात्राओं को जम्मू एण्ड कश्मीर में ले जाकर निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक क्वारंटीन किया जा सकता है ताकि वे अपने घर भी पहॅुच जाये और महामारी को फैलने से भी बचाया जा सके।

शुभकामनाओं सहित।

आपका

(दिग्विजय सिंह)

श्री अमित शाह
माननीय गृह मंत्री,
भारत सरकार
नई दिल्ली